

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-

324 / 2016

प्रविष्टि दिनांक:-

29.11.2016

नन्दा पुत्र राधाकिशन मीणा जाति मीणा निवासी संग्रामपुरा तहसील दूनी जिला टोंक
..... अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार, दूनी जिला टोंक राजस्थान। रेस्पोजेण्ट

अपील अ0 धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
दिनांक 12.11.2016 नायब तहसीलदार, दूनी प्रकरण सं0 1316 / 2016

उपस्थित: (1)श्री अंजयसिंह सोलंकी अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट


निर्णय

दिनांक 15.12.2016

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार दूनी ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2016 के द्वारा सम्वत 2073 में अपीलाण्ट को आराजी ख0नं0 695 में से रकबा 0-88 हे0 वाके ग्राम संग्रामपुरा तहसील दूनी पर किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना 720/-रूपये पेनल्टी कायम करते हुए 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी जरिये नोटिस रेस्पोजेण्ट की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी तलब की गई। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश बिना अपीलाण्ट्स पर किसी तरह की विधिवत रूप से प्रोपर तामील कराये बिना अपीलाण्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर दिये तामील नोटिस पर गलत हस्ताक्षर कर तामील बताकर एवं पटवारी हलका के सशपथ बयान लिये बिना, अतिक्रमण वाली जमीन के नजदीक के खातेदारों के बयान लिये बिना व बिना मौके पर गये एकतरफा में निर्णय पारित किया है, पूर्व में अपीलाण्ट को किस खसरा नंबर पर किस मिसल द्वारा कब बेदखल किया गया था इसका उल्लेख किये बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुए बिना निर्णय पारित किया गया है, अपीलाण्ट्स का खसरा नंबर 695 या अन्य किसी भी चरागाह या सरकारी जमीन पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान में कब्जा है, उक्त वर्णित आराजियात चरागाह न होकर बाराणी द्वितीय है। उक्त निर्णय छपे छपाये प्रोफार्मा में टाईपिंग कर एक ही निर्णय से अनेक लोगों के नाम से पारित किया है जो स्पिकिंग आर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

960



4. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सम्वत 2073 में अपीलान्ट ने चरागाह भूमि पर कब्जा किया है। पूर्व में भी सम्वत 2072 में इसी विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया था जो बयान गवाह हल्का पटवारी एवं गत वर्ष की मिसल से सिद्ध है। गत वर्ष अपीलान्ट द्वारा किये जाने पर उसे बेदखल भी कर दिया गया था परन्तु अतिक्रमियों ने पुनः उक्त विवादित भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया, अतिक्रमी अतिक्रमण करने के आदि है जिससे उनका चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 12.11.16 उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला यथावत रखा जावे।

5. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बडोली ने अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2073 में ख0नं0 695 में से रकबा 0.88 हे0 भूमि वाके ग्राम संग्रामपुरा पर बाजरा व उडद की फसल काश्त कर किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार दूनी ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.16 द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में धारा 91 के नोटिस पर अपीलान्ट स्वयं की विधिवत रूप से तामील कराई गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया किन्तु वह बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। बयान हल्का पटवारी में पूर्व में सम्वत 2072 में अपीलान्ट द्वारा इसी विवादित भूमि में अतिक्रमण करने पर उन्हें गत वर्ष भी बेदखल कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं गत वर्ष की मि0नं0 1152/15 व फर्द बेदखली से जाहिर है, फिर भी पुनः अतिक्रमण कर लिया, इससे स्पष्ट है इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, गत बेदखली की मिसल आदि से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध है। अपील में संलग्न अपीलान्ट ने अपने शपथ पत्र में विवादित भूमि पर से कब्जा छोडने का उल्लेख किया किया है इसका तात्पर्य है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर पुनः कब्जा किया था जिससे भी वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध है। ऐसी रिथिति में अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

6. फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार, दूनी) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2016 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 16.12.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार सौतम)
अतिरिक्त जिला अधिवक्ता
टोंक (राज0)

